

## राजस्थान विधान सभा

### चतुर्थ सत्र

### कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

#### 1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

#### 2. शोकाभिव्यक्ति

श्री थेनफुंगा सेलो, पूर्व मुख्यमंत्री, मिजोरम के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

#### 3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा, नगर परिषद क्षेत्र, पाली में सहकारी समितियों द्वारा पट्टा जारी करने में की गई कथित अनियमितता एवं नगर परिषद में लम्बित पट्टा पत्रावलियों के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री पब्बाराम, श्री कैलाश वर्मा एवं श्री झाबर सिंह खर्वा, सदस्य, विधान सभा, जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियांत्रिकी एवं विधिक शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से आपसी मिलीभगत कर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि को खुर्दबुर्द करने के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### 4. विधायी कार्य

##### पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

##### राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

(I) श्री यूनुस खान, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल  
विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-22)

"अधिसूचित बस टर्मिनलों पर सुविधाओं के सृजन, विकास और प्रचालन के लिये और राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**5. गैर सरकारी कार्य**

**(अ) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक**

**(I) आर्थिक न्याय एवं सामाजिक समरसता (विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015**

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी सदस्य निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

आर्थिक न्याय एवं सामाजिक समरसता (विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्या-पी-1)

"विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**(II) आर्थिक न्याय एवं सामाजिक समरसता (आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015**

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी सदस्य निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

आर्थिक न्याय एवं सामाजिक समरसता (आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-पी-2)

"आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**(ब) गैर सरकारी संकल्प**

(1) श्री हरिसिंह रावत(196), सदस्य, विधान सभा निम्नांकित गैर- सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

“यह सदन संकल्प करता है कि सरकार प्रदेश में शराब एवं गुटका के सेवन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगावे।”

( संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (56), सदस्य, विधान सभा निम्नांकित गैर- सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगी:-

“यह सदन संकल्प करता है कि सरकार वंश वृद्धि में बेटे को मुख्य कारक मानने के मिथक को नकारने के लिये एकल पुत्री को बढ़ावा देने के कदम उठाये।”

( संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

(3) श्रीमती अनीता (6), सदस्य, विधान सभा निम्नांकित गैर- सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगी:-

“यह सदन संकल्प करता है कि सरकार प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों से बढ़ रहे जैविक खतरे को दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक की थैली को पूर्णतया प्रतिबंध करने के कदम उठाये।”

( संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

(4) श्री जोगाराम पटेल(67), सदस्य, विधान सभा निम्नांकित गैर- सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

“यह सदन संकल्प करता है कि सरकार गुजरात व महाराष्ट्र की तरह राजस्थान में भी गोवध पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने हेतु कानून बनाये।”

( संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

(5) श्री सुरेश सिंह रावत(188), सदस्य, विधान सभा निम्नांकित गैर- सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

“यह सदन संकल्प करता है कि सरकार अजमेर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले गांवों में आबादी विस्तार के कदम उठाये।”

( संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

नोट- (गैर सरकारी कार्य का समय - मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से 5.00 बजे तक)

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक : 31 मार्च, 2015